न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1046–दो/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–5–05 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 139/01–02/निग0.

रोडू पुत्र कालूराम
निवासी ग्राम बीरजेड़ा
तहसील व जिला गुना .....आवेदक

विरूद्ध

शकुन देवी पत्नी रामचरण
निवासी ग्राम फतेहगढ़
तहसील व जिला गुना .....अनावेदिका

श्री राजेश शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री विनोद भार्गव, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/1/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–5–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक रोडू द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गुना के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बीलाखेड़ा स्थित सर्वे कमांक 10/50, 10/80, 11/2 एवं 34/13 कुल रकबा 4.337 हेक्टेयर भूमि उसे भूदान पट्टे पर प्राप्त हुई थी, अब वह उक्त भूमि से इस्तीफा दे रहा है, अतः प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ–63(3)/96–97 दर्ज कर दिनांक 16–5–97 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की गई । उक्त आदेश के विरूद्ध कलेक्टर, गुना के समक्ष निगरानी

प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 28–2–02 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका शकुनदेवी द्वारा निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24–5–05 को आदेश पारित किया जाकर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये गये कि पत्र क्रमांक स्टे/1/95 दिनांक 5–6–97 का अमल राजस्व अभिलेखों में सुनिश्चित किया जाये अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी को इन्द्राज दुरूस्ती का अधिकार प्राप्त नहीं होकर तहसीलदार को प्राप्त हैं, अतः इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है ।

(2) अनावेदिका को दिनांक 3–2–1987 को पट्टा प्राप्त हुआ था, और वर्ष 1997 तक लगभग 10 वर्षों तक अनावेदिका द्वारा राजस्व अभिलेखों में अमल कराये जाने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई है, इस पर अपर आयुक्त द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है ।

(3) 10 वर्षों तक अनावेदिका प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज नहीं रही है, इस संबंध में भी अपर आयुक्त द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है ।

(4) आवेदक रोडू के हक में भूदान का पट्टा प्रभावशील है लेकिन अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में रोडू का पट्टा निरस्त नहीं कर अनावेदिका को पट्टा दिये जाने में अवैधानिकता की गई है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा भूमि सरेण्डर कर दी गई है, परन्तु इस संबंध में कोई जांच नहीं कराई गई है, और न ही कोई साक्ष्य ली गई है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये :–

(1) कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि भूदान यज्ञ बोर्ड अधिनियम, 1968 निरस्त हो चुका है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी को पट्टा प्रदान करने की अधिकारिता नहीं है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 5–6–97 से पट्टा प्रदान नहीं किया गया है, अपितु पूर्व में पारित आदेश दिनांक 3–8–87 का अमल किये जाने का आदेश दिया गया है, इस कारण अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अवैधानिक है कि अनावेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया है, क्योंकि किसी भी भूमिस्वामी को उसके स्वयं के द्वारा कृषि कार्य नहीं करने के आधार पर उसके स्वत्व समाप्त नहीं किये जा सके हैं, इस कारण भी कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपीलीय आदेश था, जिसके विरूद्ध निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं थी, इसके बावजूद भी कलेक्टर द्वारा निगरानी ग्राह्य करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

(4) कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी अवधि बाह्य थी, अतः सर्वप्रथम कलेक्टर को समय–सीमा के बिन्दु का निराकरण करने के पश्चात गुण–दोष पर आदेश पारित करना चाहिए था, परन्तु समय–सीमा का विनिश्चय नहीं कर सीधे गुण–दोष पर आदेश पारित करने में कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई थी, अतः कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा उचित कार्यवाही की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1992 आर.एन. 345 (उच्च न्यायालय), 1983 आर.एन. 1(उच्च न्यायालय), 1991 आर.एन. 17, 1988 आर.एन. 265, 1993 आर.एन. 4 एवं 1995 आर.एन. 139 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी को भूदान की भूमि को पट्टे पर देने का अधिकार नही था । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–5–97 को आदेश पारित पट्टा दिया गया है, किन्तु अनावेदक को प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा देने संबंधी कोई प्रकरण ही दर्ज नहीं है, ऐसी

स्थिति में कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी को भूदान की भूमि का पट्टा देने का अधिकार नहीं था, इसी कारण आवेदक को दिया गया पट्टा भी संदिग्ध है, और इसीलिए उसके द्वारा भूदान की भूमि से इस्तीफा दिया गया है । कलेक्टर द्वारा आदेश में निकला गया निष्कर्ष तो अपने स्थान पर वैधानिक एवं उचित है, परन्तु उनके द्वारा आवेदक का पट्टा बहाल करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही की गई है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी को भूदान की भूमि का पट्टा देने का अधिकार नहीं था । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में दिया गया पट्टा निरस्त कर भूमि को शासकीय घोषित करने की कार्यवाही करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–5–2015, कलेक्टर, गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2002 एवं अनुविभागीय अधिकारी, गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–5–97 एवं 21–5–97 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर